8/7/24 — आज पत्रावली पेश हुई। कोई व कोई वकील अनु० -प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलवाई गई कोई भी उप० नहीं हुआ। अन्तिम आवाज दोपहर 3:30 बजे दिलवाने पर भी कोई पक्षकार वकील उप० नहीं होने पर मुकदमा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
अलवर